ONE RUPEE

(108)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रं. /03

Rev 612-II/03

1. राजकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद
2. शिवकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद
3. रामलोटन पुत्र जयकृष्ण
सभी निवासी ग्राम बैसा तह. हुजूर
जिला रीवा (म.प्र.)

... आवेदकगण

विरुद्ध

1. मुस.सरस्वती पुत्री रामगरीब (मृतक)
2. लोकनाथ तनय श्री कृष्ण
सभी निवासी ग्राम बैसा तह. हुजूर
जिला रीवा (म.प्र.)

श्री ... द्वारा आज दि. 23/4/03 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
23 APR 2003

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रं. 1495-II/02 रेस्टोरेशन में पारित आदेश दिनांक 3.3.03 के विरुद्ध म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगणों की ओर से निम्न लिखित निवेदन है :-

1. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कु कुछ ऐसी भूले हैं जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।
2. यह कि, आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन आवेदन पत्र में उठाई समस्त आपत्तियों पर विचार एवं विनिश्चयन नहीं किया गया है इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।
3. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में रेस्टो-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 612–दो/03 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–6–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1495–दो/2002 में पारित आदेश दिनांक 3–3–2003 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (के0सी0 जैन) सदस्य	